पत्र संख्याः 1/सी0—1008/2018(खण्ड—1)—सा0प्र0—3732/

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार(ले. एवं ह.),

महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय,

बिहार, पटना ।

पटना—15, दिनांक 18 मार्च, 2019

विषयः— विभागीय अधिसूचना संख्या—1/सी0—1008/2018(खण्ड—1)—सा0प्र0—33 दिनांक 02.01.2019 से आच्छादित भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के पदाधिकारियों को एफ आर 22(1) (ए)(2) के तहत विकल्प समर्पण का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या—33 दिनांक 02.01.2019 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि उक्त अधिसूचना में विकल्प प्रयोग से संबंधित नियम का अंकन छूट गया है । उक्त नियम मूलतः निम्नवत् हैः—

**"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."**

2. अतः अनुरोध है कि विभागीय अधिसूचना संख्या—33 दिनांक 02.01.2019 से संबंधित पदाधिकारियों में से जो पदाधिकारी उपर्युक्त नियम के निर्धारण के अनुरुप आगामी एक माह के अन्दर अपना विकल्प समर्पित करते हैं, उन्हें नियमानुसार उनके विकल्प का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाय।

3. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 1/सी0—1008/2018(खण्ड—1)—सा0प्र0—3732/पटना—15, दिनांक 18मार्च, 2019

प्रतिलिपिः— सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—1/सी0—1008/2018 (खण्ड—1) —सा0प्र0—33 दिनांक 02.01.2019 से संबंधित सभी भा0प्र0से0 पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इच्छित विकल्प सीधे महालेखाकार (ले. एव. ह.), बिहार, पटना को प्रेषित करने की कृपा की जाय।

18.3.19

सरकार के अवर सचिव ।